भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1282
बुधवार, 11 फरवरी, 2026 (22 माघ, 1947, (शक)को उत्तरार्थ

नई एमएससीएस की स्थापना

1282 श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश (एमपी) के किसानों को तीन नई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस): निर्यात, जैविक उत्पाद और बीज की स्थापना से क्या-क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) सरकार की मध्य प्रदेश में जैविक "कोडो-कुटकी" (श्रीअन्न) के जनजातीय उत्पादकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) के साथ किस प्रकार जोड़ने की योजना है; और

(ग) निर्यात लाभ को सीधे प्राथमिक किसान सदस्यों के बैंक खातों में वापस करने की क्या व्यवस्था है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, सहकारिता मंत्रालय ने तीन राष्ट्रीय-स्तरीय बहु-राज्य सहकारी समितियां : निर्यात के लिए राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल),जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और गुणवत्तापूर्ण बीजों के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना की है । ये समितियाँ बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अधीन पंजीकृत हैं। पैक्स से लेकर शीर्ष स्तर तक की सभी सहकारी समितियाँ इनकी सदस्य बनने के लिए पात्र हैं ।

मध्य प्रदेश के किसान इन तीन समितियों की पहलों से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं । अब तक 1611 सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की सदस्य बन चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) राज्य भर के किसानों और किसान समूहों के साथ जुड़ने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त दो नोडल एजेंसियों (मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ) के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य कर रहा है । जून 2025 में, एनसीईएल और राज्य नोडल एजेंसियों ने भोपाल में एक कमोडिटी सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें निर्यात तत्परता बढ़ाने और सहकारी फ्रेमवर्क के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था ।

बीबीएसएसएल और एनसीओएल ने मध्य प्रदेश में क्रमशः 837 और 1331 सदस्य सहकारी समितियों को नामांकित किया है, और वे राज्य में बीज तथा जैविक उत्पादों का व्यवसाय सक्रिय रूप से संचालित कर रहे हैं ।

(ख) सहकारी क्षेत्र के निर्यात के लिए देश के नामित अम्ब्रेला ओर्गेनाइजेशन के रूप में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) उन सभी कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनमें विपणन योग्य अधिशेष उपलब्ध है । एनसीईएल ने भारत के सहकारी क्षेत्र से जैविक उत्पादों के निर्यात की सुविधा को सुगम बनाने के लिए एनसीओएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, सरकार, एनसीओएल के माध्यम से, मध्य प्रदेश में पैक्स सदस्यों की सहायता कर रही है, जिसमें प्राथमिकता जनजातीय और प्राकृतिक रूप से कीटनाशक मुक्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि उन्हें जैविक उत्पादन में परिवर्तित किया जा सके।

(ग) अपनी पंजीकृत उपविधियों के खंड 55 और 58 के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल)` के पास अपनी सदस्य सहकारी समितियों को लाभांश वितरित करने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में, एनसीईएल ने अपने सदस्यों को उनकी प्रदत्त शेयर पूंजी पर 20 प्रतिशत की दर से लाभांश वितरित किया है ।
